

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० ४०/2022

रवि कुमार राय वगैरह

बनाग

पंकज कुमार राय वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
09-06-2022	<p>प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रगारी तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या-19/22 दिनांक 22/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घर बाड़ी जमीन के चलते बंटवारा को लेकर विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>18-06-2022</u> को उपस्थापित करें।</p>	


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

आदेश की तारीख/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
28-11-2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रम सं०-01, 05, 06, 07 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल। प्रथम पक्ष दिनांक 12-12-2022 को गवाही रखें।</p> <p style="text-align: right;">कार्य दंडा. कुण्ड।</p>
12-12-2022	<p>प्रथम पक्ष हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०-01, 02, 03, 04, 05 हाजरी एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। पीछासीन दंडाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 19-12-2022 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">दंडा -</p>
19-12-2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रम सं० 01, 02, 05 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। दिनांक 26-12-2022 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">कार्य दंडा. कुण्ड।</p>
26-12-2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष क्रम सं० 01, 02 उपस्थित। द.प्र.सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि दरः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः (06) माह की अवधि पूरी हो चुका है, अर्थात् वाद काण्वाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों में शांति बने रहने</p>

पृष्ठ संख्या - (05)

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
Order and Signature of Officer

आदेश पर की गई
कार्रवाई तिथि सहित
Action taken on
order with date

तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक
में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा
में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।

कार्रवाई सं. 05/10
कुल